कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) भरतपुर संभाग भरतपुर
कार्यालय आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ,जयपुर द्वारा वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक पद हेतु भर्ती –2022 में चयनित निम्न अभ्यर्थियों को निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1/12102(200–ए)/सी.भ./वरि.कम्प्यू.अनु./2022 दिनांक 16–02–2023 के द्वारा नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये गए अभ्यर्थियों को वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार लेवल–10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 23700/–रू.प्रतिमाह /विद्यमान(पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश परिपत्र दिनांक 02–07–2020 के अनुसरण में दिनांक 21–02–2023 को आयोजित परामर्श कैम्प के माध्यम से निम्नांकित अभ्यर्थियों को वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है।

1. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन(डीपी), विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियाँ की जावेगी।
3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
4. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा ।

<u>सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे:–</u>

01. अनावश्यक लाभ रोकने के उद्देश्य से आवेदन पत्र में चस्पा फोटो से कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अभ्यर्थी ने चयन बोर्ड की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक पद पर कार्यग्रहण करे। एंव नियुक्ति/पदस्थापन आदेश पर अभ्यर्थी का फोटो चस्पा कर प्रमाणित करें ।
02. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी नवीनतम सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावें , इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
03. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवें।
04. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
05. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50/– रुपये के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
06. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प.7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04–10–2013 के अनुसार धूम्रपान /मद्यपान एवं गुटखा सेवन नही करने संबंधी वचनबंधता (undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावें ।
07. अभ्यर्थी से दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।
08. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। मिलान में यदि कोई भिन्नता की स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
09. कार्यग्रहण कराने से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों से 50/–रू0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक /प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नही पाई गई तो उन्हे प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।
10. अन्य पिछडा वर्ग मे चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नही होता है ,अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
11. अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार एंव निर्धारित प्रपत्र में प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नही होने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नही कराया जावे तथा आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दिया जावे । उपरोक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
12. चयनित अभ्यर्थी की सूची में अभ्यर्थी के वर्ग इत्यादि में अन्तर पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण ना करवाया जाकर उसका आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवावें ।
13. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/रू0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र लें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सभी एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

Signature valid
Digitally signed by Ram Khiladee Bairwa
Designation : Deputy Director
Date: 2023.02.21 15:58:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3216475

Sr. No.	APPNO	ROLL NO.	MERIT NO.	NAME/FATHER NAME AND ADDRESS	DOB	CATE	H_CATE	SEL_CATE	GENDER	POSTING PLACE	PHOTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	202218624882	426300	648	NIDHI SHARMA/SURESH CHAND SHARMA/AMAN MARRIAGE HOME KE PASS JAGHEENA GATE - BHARATPUR PINCODE 321001	31-07-1988	GEN-EWS	DIV	GEN	Female	SHAHID RAMBABU GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL UCHCHAIN (217410),UCHAIN, BHARATPUR	
2	202218539142	416622	801	GURMEL KAUR/DHANNA RAM/WARD NO 5 CHAK 1 STY A TEHSIL GHARSANA , SHRI GANGANAGAR PINCODE 335707	12-08-1996	SC		SC	Female	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL SUROTH (212498),HINDAUN, KARAULI	
3	202218618410	421777	110	CHARU RANI/BAL KRISHAN CHAWLA/D 503 BUDH VIHAR ALWAR - ALWAR PINCODE 301001	06-10-1989	GEN		GEN	Female	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL MUNDIYA (217031),NAGAR, BHARATPUR	
4	202218626873	408708	117	AJEET KUMAR SHARMA/BHUPENDRA KUMAR SHARMA, BAYANA GATE, WEIR , BHARATPUR PINCODE 321408	19-06-1992	GEN-EWS		GEN	Male	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL PALI (217311),WEIR, BHARATPUR	
5	202218757321	421183	120	ANIL KUMAR DAGUR/MAN SINGH DAGUR/VILL-SOMALI POST-SOMLA HINDAUN CITY, KARAULI PINCODE 322252	02-01-1992	OBC		GEN	Male	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL SHRIMAHAVEERJI (212516),SHRI MAHAVEER JI,KARAULI	
6	202218667071	413502	121	YOGENDRA SINGH CHAHAR/JAWAHAR SINGH/E-58 JAWAHAR NAGAR NEAR ADARSH VIDHYA MANDIR SCHOOL BHARATPUR PINCODE 321001	15-12-1994	OBC		GEN	Male	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL KUMHA KUMHER (217139),KUMHER, BHARATPUR	
7	202218729919	414909	144	SONU KUMAR GOYAL/DEENDAYAL GOYAL/134 MAIN MARKET MITHI PATTI -- DHINDHORA HINDAUNCITY , KARAULI PINCODE 322236	03-01-1998	GEN-EWS		GEN-EWS	Male	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL RUDAWAL (217421),ROOPWAS, BHARATPUR	
8	202218668840	415664	182	NRIPENDRA SINGH YADAV/BRIJRAJ SINGH/BRIJRAJ SINGH - NAGOUR ROAD RAMPURA BASTI NOKHA BIKANER PINCODE 334803	10-12-1992	OBC		OBC	Male	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL DHOLPUR (211786), DHAULPUR, DHAULPUR	
9	202218465641	418275	189	GOURAV YADAV/RAMESH CHAND YADAV/168 THANEDAR KI DHANI VILL-ANATPURA CHIMANPURA VPO-GOVINDGARH TH-CHOMU Anatpura , JAIPUR PINCODE 303712	05-12-1989	OBC		OBC	Male	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL MANIYA (211[illegible]37), DHAULPUR, DHAULPUR	

Signature valid
Digitally signed by Rani Khilaree Bairwa
Designation: Deputy Director
Date: 2023.02.21 15:58:07 IST
Reason: Approved

10	2022186 38453	403816	205	MUKESH KUMAR SONI/MAHESH KUMAR SWARNKAR/BEHIND THE BARADARI LAWN VIKASH COLONY - Dausa PINCODE 303303	12-04-1994	OBC		OBC	Male	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL MALARNA DUNGAR (212815),MALARNA DOONGAR, S.MADHOPUR	
11	2022187 52542	422745	207	SANDEEP KUMAR BHARIA/SHRICHAND BHARIA/VILL CHURI MIYAN - - SIKAR PINCODE 332401	17-11-1996	OBC		OBC	Male	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL PALIDANG (217352),BAYANA, BHARATPUR	
12	2022186 33966	403413	215	GOVIND KUMAR/PRAMOD KUMAR/64/556 PRATAP NAGAR SANGANER THANA Jaipur PINCODE 302033	12-08-1990	GEN-EWS		GEN-EWS	Male	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL PURANI CHHAWANI (211720), DHAULPUR, DHAULPUR	
13	2022185 75018	408162	225	DEEPENDRA MANGAWA/SITARAM MANGAWA/VILLAGE-PUJARI KA BAS POST-JAIRAMPURA TEHSIL-KHANDELA PUJARI KA BAS , SIKAR PINCODE 332715	29-07-1994	OBC		OBC	Male	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GUDHACHANDARJI (212630),NADOTI, KARAULI	
14	2022187 15239	422069	666	NAND KISHOR BAIRWA/GHANSHYAM BAIRWA/VILL-MALOOPARA POST-ANDHIYAKHERA TEH-NADOTI Maloopara DISS. KARAULI PINCODE 322213	12-03-1994	SC		SC	Male	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL MANDRAYAL (212707),MADRAIL, KARAULI	

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 14–03–2023 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हे शाला दर्पण के माध्यम से कार्यग्रहण करवाकर सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करें।

(रामाखिलाडी बैरवा)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
भरतपुर संभाग भरतपुर

क्रमांक : संनि/भरत/माध्य/संस्था–1/फा–नि0वरि0कम्प्यू.अनु.–2022/2022–23/ **505** दिनांक : **21–02–2023**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. विशिष्ट सहायक ,माननीय राज्य शिक्षा मंत्री ,राजस्थान–सरकार जयपुर ।
03. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
04. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
05. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
06. अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ,जयपुर
07. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
08. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान भरतपुर /धौलपुर/करौली एवं सवाईमाधोपुर
09. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) भरतपुर ,धौलपुर ,करौली एवं सवाईमाधोपुर को भिजवाकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित अभ्यर्थियों के मूल विस्तृत आवेदन पत्र स्थानीय कार्यालय से प्राप्त कर संबधित संस्था प्रधानों को उपलब्ध करावें
10. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी0आर0सी0एफ0 समग्र शिक्षा अभियान ....
11. सम्बन्धित संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र आपके परिक्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक को प्रेषित किए जा चुके है, आपसी समन्वय से आवेदन पत्र प्राप्त कर लेवे।
12. सम्बन्धित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
13. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
14. प्रभारी शाला दर्पण स्थानीय कार्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
155. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
भरतपुर संभाग भरतपुर

Signature valid
Digitally signed by Ram Khiladi Bairwa
Designation : Deputy Director
Date: 2023.02.21 15:58:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3216475